भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-**1165**
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

विदेश में उच्च शिक्षा

†1165. श्री सुकांत सेंथिल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2024 में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है और 2023 के आंकड़ों से इसकी तुलना किस प्रकार की जाती है;
(ख) उक्त छात्रों द्वारा चुने गए प्रमुख गंतव्य देश कौन-कौन से हैं और इनके विषय कौन-कौन से हैं;
(ग) सरकार द्वारा छात्रों के विदेश जाने के लिए चिह्नित किए गए कारक क्या हैं;
(घ) विदेशी अहर्ताओं को मान्यता प्रदान करने और ऐसे छात्रों की भारत वापसी को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ठाने का विचार है; और
(ङ.) विदेशों में भारतीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे वीज़ा संबंधी बाधाओं, बढ़ती जीवन-यापन लागत और भू-राजनीतिक जोखमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार**,** वर्ष **2023** और वर्ष **2024** में विदेश जाते समय अपनी यात्रा का उद्देश्य अध्ययन/शिक्षा बताने वाले भारतीयों की संख्या निम्नानुसार है**:**

वर्ष	**2023**	**2024**

वद्या र्थयों की संख्या	**894783**	**760073**

उच्चतर शक्षा हेतु वदेश जाने वाले भारतीयों के द्वारा संबं धत आप्रवासन निकासी प्रदान करने के समय प्रस्तुत उद्देश्य को बीओआई द्वारा मैन्युअल रूप से उनके मौ खक प्रकटीकरण अथवा गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर दर्ज कर लया जाता है। इस आंकड़े के आधार पर, शीर्ष गंतव्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड कंगडम, ऑस्ट्रे लया और जर्मनी शा मल हैं। तथा प, इन आंकड़ों में वदेशों में वद्या र्थयों द्वारा कए जा रहे पाठ्यचर्यों के प्रकार शा मल नहीं हैं।

वदेशों में उच्चतर शक्षा व्यापक अवसरों, कैरियर की बेहतर संभावनाओं और सार्थक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन की आकांक्षाओं द्वारा निर्दे शत व्यक्तिगत इच्छा और पसंद का क्षेत्र है। सरकार ने वीजा अनुमोदन, शैक्ष णक मान्यता और अन्य देशों के साथ वद्यार्थी के आवागमन की सु वधा के लए योग्यता की पारस्परिक मान्यता (एमआरक्यू) और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (एमएमपीए) संबंधी करार जैसे रूपरेखा तंत्र के माध्यम से व भन्न उपाय कए हैं।

भारत में वदेशी डग्री की मान्यता की प्र क्रया को सुव्यवस्थित करने के लए, वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने " वदेशी शक्षा संस्थानों से प्राप्त अहर्ताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करने संबंधी वनियम, **2025"** को अ धसू चत कया है। वनियम **https://equivalence.ugc.ac.in/uploads/regulation.pdf** पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने वदेशी अहर्ताओं को समतुल्यता प्रदान करने के लए पोर्टल **https://equivalence.ugc.ac.in/** का संचालन कया है।

वदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय वद्या र्थयों सहित भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर स्थल पर सु वधा प्रदान और उनके द्वारा कए गए आकस्मिक व्यय को पूरा करने करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वदेशों में सभी भारतीय मशनों और पदों में भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है। वदेशों में भारतीय मशन/पद उच्चतर शक्षा के लए वदेश की यात्रा करने वाले भारतीय वद्या र्थयों को उनके साथ और साथ ही मदद पोर्टल पर पंजीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं ता क उनकी शकायतों और मुद्दों का मामलों तरीके से समाधान कया जा सके।

*****